ई-अधियाचन पोर्टल/ शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-6/2023/285/सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023-15(20)/95

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2023

विषय : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ई-अधियाचन पोर्टल के माध्यम से अधियाचन भेजे जाने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किये जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-414/सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023 दिनांक 23 मार्च, 2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विधिवत दिशानिर्देश भी निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय तथा शासन के कार्मिक विभाग द्वारा निरन्तर किये जा रहे अनुश्रवण/ समीक्षा के फलस्वरूप अधिकांश विभागों/ विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा विभागीय नोडल नोडल अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही कर ली गयी है परन्तु पोर्टल के माध्यम से अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में कृत कार्यवाही की प्रगति संतोषजनक नही है।

2. उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 'ई-अधियाचन पोर्टल' के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन ऑनलाइन प्रेषित किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए

1) शासन के जिन विभागों तथा विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह 'ख' एवं समूह 'ग' के सीधी भर्ती की रिक्तियों का अधियाचन प्रेषित किया जाता है, उन विभागों तथा विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा नोडल अधिकारी नामित करते हुये एन0आई0सी0 के माध्यम से यूजर आई0 डी0 तथा पासवर्ड प्राप्त करने करने की कार्यवाही विलम्बतम एक सप्ताह में अवश्य ही पूर्ण कर ली जाय। नोडल अधिकारी मात्र शासन के विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर नामित किया जाना है। शासन के विभाग तथा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर नामित नोडल अधिकारी का ही यूजर आई0डी0 पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा सृजित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://Shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

2) नोडल अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही की समीक्षा करते हुए विभागीय अपर मुख्य मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से विलम्बतम 15 दिन में कार्मिक विभाग को इस आशय आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए कि विभाग स्तर पर अथवा विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाना शेष नहीं है।

3) यह सुनिश्चित किया जाय कि आयोगों को अधियाचन भेजे जाने के सबंध में निर्धारित निर्धारित प्रक्रियानुसार उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग एवं उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समस्त अधियाचन 'ई-अधियाचन पोर्टल' के माध्यम से एक पक्ष में अवश्य प्रेषित कर दिये जाएं।

4) प्रेषित किये गये अधियाचनों पर आयोग द्वारा किसी प्रकार की पृच्छा किये जाने पर उसका उसका तत्काल निराकरण किया जाय तथा समयान्तर्गत चयन कार्यवाही पूर्ण हो इस हेतु आयोगों आयोगों को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाय।

5) विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आयोग को अधियाचन भेजे जाने की कार्यवाही की प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित की जाय तथा अधियाचन भेजे जाने में बिना किसी औचित्यपूर्ण कारण के अनावश्यक विलम्ब की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कडी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय ।

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव ।

संख्या-6/2023/285/सामान्य/ सैंतालीस-का-4-2023-15(20)/95 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयाग, प्रयागराज ।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश ।
4. निजी सचिव, विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, (श्री शशांक त्रिपाठी) उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग उ0 प्र0 शासन।
7. श्री आर0 एच0 खान, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय तकनीकी विज्ञान केन्द्र (एन0 आई0 सी0) योजना भवन, लखनऊ ।
8. श्री नवनीत प्रधान, तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय तकनीकी विज्ञान केन्द्र (एन0 आई0 सी0) योजना भवन, लखनऊ ।
9. लोक शिकायत अनुभाग-5
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://Shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://Shasanadesh.up.gov.in